माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(उ0प्र0, पिन–247120)

website-msuniversity.ac.in Gmail ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1409 / प्रवेश / MSU / 2022–23 दिनांक: 12.09.2022

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या
सम्बद्व महाविद्यालय,
(माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यायल)
सहारनपुर।

विषयः– **प्राविधिक शिक्षा परीषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद के संलग्न पत्र संख्या–परिषद–9 / 316, दिनांक : 06 जून, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा सूचित किया गया है कि शासन में अपने पत्र संख्या–720 / 15–7–2016, दिनांक 20 मई, 2016 द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षिय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की इण्टरमिडिएट परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे अभ्यार्थी, जिन्होने प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की है को स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु अर्ह मानते हुए प्रवेश सम्बन्धी अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ।

01. प्रवेश समन्वयक।
02. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय।
03. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ

कुलसचिव

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
1–गुरू गोविन्द सिंह मार्ग,
बांस मण्डी चौराहा,चारबाग,
लखनऊ। 226004

पत्रांकः परिषद–9/ 316 दिनांक 06 जून,2016

विषयः प्राविधिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा कों माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ज्ञातव्य है कि शासन ने अपने पत्र संख्या–720/15–7–2016 दिनांक 20 मई 2016 द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा कों माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

शासन के पत्र के क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 द्वारा सर्वसाधरण की जानकारी हेतु दिनांक 28 मई 2016 के राजकीय गजट में प्रकाशित करायी गयी विज्ञप्ति संख्या–परिषद–9/279 दिनांक 27 मई,2016 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–उक्तवत्।

भवदीय,
06.6.16
उप सचिव(परिषद)
कृते सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–परिषद–9/ 316(1-6) दिनांक 06 जून,2016

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– संयुक्त सचिव,शिक्षा–7 अनुभाग,उ0प्र0शासन,लखनऊ।(गजट प्रति सहित)
2– शिक्षा निदेशक(मा0) शिविर कार्यालय,18 पार्क रोड,लखनऊ।(गजट प्रति सहित)
3– अपर शिक्षा निदेशक(मा0) शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।(गजट प्रति सहित)
4– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उ0प्र0।
5– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उ0प्र0।
6– कु0 स्वाती मौर्या,538 एफ/153 लोनी कटरा खदरा,लखनऊ।(गजट प्रति सहित)

6.6.16
उप सचिव(परिषद)
कृते सचिव।

6/6/16

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

27 मई, 2016 ई0

सं0 परिषद-9/279–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 720/15-07-2016, दिनांक 20 मई, 2016 द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) के क्रम 34 के पश्चात् नवीन क्रम 35 को निम्नवत् रूप में जोड़े जाने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी है–

पूर्व व्यवस्था	संशोधित विनियम
विनियम-17(7) क्रमांक-1 से 34	विनियम-17(7) क्रमांक-1 से 34 तक यथावत्। 35–प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा।

श्रीमती शैल यादव,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र दिनांक 28-05-2016 के भाग-4 में प्रकाशित विज्ञप्ति।
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–]

पी0एस0यू0पी0–40 मा0शि0प0–23-09-2016–500 प्रतियां (मोनो/डी0टी0पी0/आफसेट)।

संख्या-7/2016/720/15-7-2016

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 20 मई, 2016

विषयः- प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य किये जाने हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-परिषद-9/डी0ई0/24, दिनांक 06 मई, 2016 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) में उल्लिखित प्राविधानों में संशोधन से सम्बन्धित विनियम संशोधन का प्रारूप संलग्न करते हुए अधिनियम की धारा-16(2) के अन्तर्गत उक्त विनियम में संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) में प्रस्तावित संशोधन के प्रस्ताव को एतद्द्वारा श्री राज्यपाल माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16(2) के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परिषद् विनियमों अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) में संशोधन का प्रारूप संलग्न है।

3- उक्त के संबंध में तद्नुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त।

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0संख्या एवं दिनांक</u> तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक-प्रा0शि0प0/परिषद-1(1)/2016-10662-65, दिनांक 26-2-2016 के संदर्भ में।

3- सुश्री स्वाति मौर्य निवासी-538एफ/163,लोनी कटरा कालोनी, खदरा, जनपद-लखनऊ को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 11-4-2016 एवं 18-4-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिषद विनियमों के अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) के क्रमांक-34 के पश्चात् नवीन क्रमांक-35 जोड़ा जाना

विनियम संशोधन का प्रारूप

वर्तमान स्वरूप	संशोधित स्वरूप
विनियम-17(7) क्रमांक-1 से 34	**विनियम-17(7)** क्रम-1 से 34 तक यथावत **35-** प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा।

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।